राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)
जल निगम परिसर, 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ–226001
फोन 0522-2239448
फैक्स 0522-2237709
वेब www.swsmup.org
ईमेल : ed.swsmup@rediffmail.com

पत्रांकः 326/ई–46/2021 दिनांकः 03 जून, 2021

सेवा में,
कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,
कैमूर वन्य जीव प्रभाग,
मिर्जापुर।

विषयः–नमामि गंगे स्वच्छ पेयजल योजना के अन्तर्गत पटवध ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत **WTP** हेतु वन भूमि एवं ग्राम समाज को पारस्परिक हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

अपने कार्यालय पत्रांक संख्या 3019/331 दिनाँक मिर्जापुर, मई 29, 2021 का सन्दर्भ लेना चाहें, जिसके क्रम में ऑनलाइन कमियों का निराकरण के सम्बन्ध में परीक्षण किये जाने पर उल्लिखित बिन्दुओं पर कमियों का निराकरण चाहा गया है, के क्रम में बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार है–

कमियां	निराकरण
A-(Viii) में प्रोजेक्ट की दूरी 0 किमी० दर्शाया गया है। कैमूर वन्य जीव विहार के इकोसेन्सिटिव जोन की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। अतः इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय कि इकोसेन्सिटिव जाने के अन्दर कोई कार्य नहीं कराया जायेगा।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित।
B-(1.2) डिस्ट्रिक्ट डिटेल में जनपद के कॉलम में मिर्जापुर दर्शाया गया है, जबकि सोनभद्र होना चाहिए, तद्नुसार इसे पूर्ण किया जाय।	त्रुटि में ऑनलाइन सुधार कर दिया गया है।
D- जस्टिफिकेशन अपलोड किया गया है, परन्तु अधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। अधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर जस्टिफिकेशन अपलोड किया जाय।	अधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर जस्टिफिकेशन इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित।
उक्त के अतिरिक्त कोई भी अन्य गैर वानिकी कार्य प्रस्तावित होगा तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत फॉरेस्ट एप्रूवल व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अन्तर्गत वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस लिया जायेगा, के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित।

उपरोक्त अनुपालन आख्या प्रेषित करने पर आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त वन भूमि प्रस्ताव का शीघ्र अनुमोदन करने की कृपा करें। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत योजना 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत उच्च प्राथमिकता पर निर्मित की जानी है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अंकुर बाजपेयी)
अधिकृत अधिकारी/तकनीकी सलाहकार

विषयः नमामि गंगे स्वच्छ पेयजल योजना के अन्तर्गत पटवध ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत WTP हेतु वन भूमि एवं ग्राम समाज को पारस्परिक हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

इकोसेन्सिटिव जोन हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र

कैमूर वन्य जीव विहार के इकोसेन्सिटिव जोन की अधिसूचना जारी हो जाने के परिपेक्ष्य में हम इस आशय की अपनी वचनबद्धता देते हैं कि इकोसेन्सिटिव जोन के अन्दर कोई कार्य नही कराया जायेगा।

1/6/2024

(अंकुर बाजपेयी)
तकनीकी सलाहकार

(अँकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

JUSTIFICATION FOR LOCATING THE PROJECT IN FOREST LAND

Jal Jeevan Mission, a Central Government initiative under the Ministry of **Jal** Shakti, **aims** to ensure access of piped water for every household in India.

Jal Jeevan Mission envisioned to provide safe and adequate drinking water through individual functional household tap connections by 2024 to all households in rural India. The programme will also implement source sustainability measures as mandatory elements, such as recharge and reuse through grey water management, water conservation, rain water harvesting. The Jal Jeevan Mission will be based on a community approach to water and will include extensive Information, Education and communication as a key component of the mission. JJM looks to create a **JAN ANDOLAN** for water, thereby making it everyone's priority.

For further information logon to JJM Website.

The location for Construction of Intake Pipeline and Water Treatment Plant for the project Patwadh Group of Villages Water Supply has been studied comprehensively and no other suitable location of intake could be found in the stretch of Sone River at the proposed location which could be construction and access wise feasible avoiding the forest land. There are no Gram panchayat or any non-forest land areas in the vicinity that could have been proposed Moreover the feasibility and technicality of this point is same as that of Lift Irrigation intake works existing in the same locality.

Existing Lift Irrigation Station	View from Irrigation Lift Station towards proposed locations (approximate) of the intake source for Patwadh Water Supply Scheme – Sone River

The Water Treatment Plant for drinking water is required to be constructed near to the intake technically. **Thus the location of intake, it's pipeline and Water Treatment Plant cannot be relocated to any non-forest land.**

A presentation given to the Hon'ble CM of UP is being attached herewith for reference depicting the importance of the project.

(अंकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता

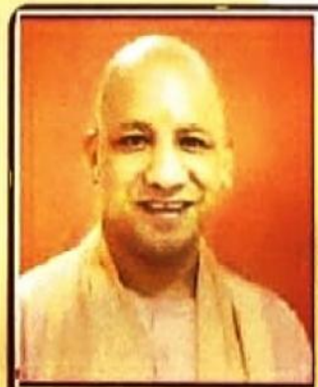

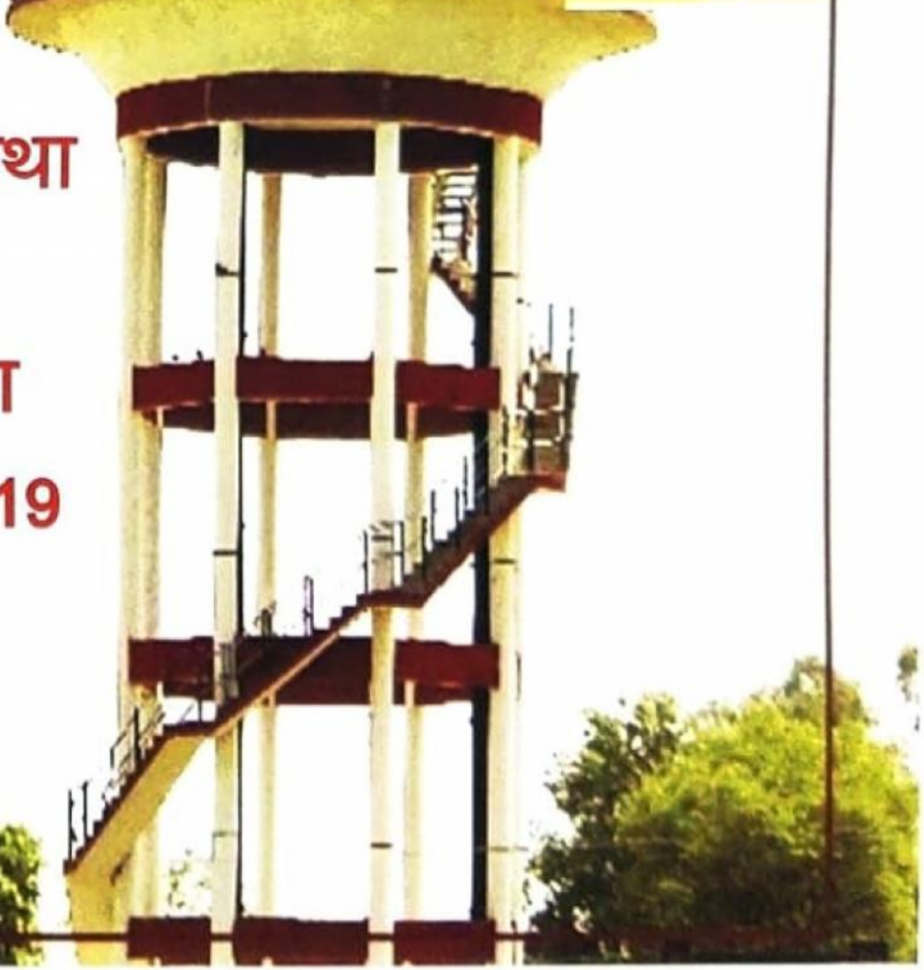

बुन्देलखण्ड क्षेत्र, विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों की पाइप पेयजल परियोजना का प्रस्तुतीकरण दिनांक 05.08.2019

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0

(अंकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

उद्देश्य

(अंकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

प्रदेश की बुन्देलखण्ड, विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं द्वारा सभी ग्रामीण बस्तियों में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।

उद्देश्य

(अंकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

प्रदेश की बुन्देलखण्ड, विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं द्वारा सभी ग्रामीण बस्तियों में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।

मा0 मंत्रि परिषद द्वारा लिये गये निर्णय

(अंकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

दिनांक 03.01.2018 को मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में यह तय हुआ कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा पाइप पेयजल योजना के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कुल रू0 86,000 करोड़ के कार्यों के सापेक्ष चरणबद्ध रूप से कार्यों को करने के दृष्टिगत प्रथमतः बुन्देलखण्ड क्षेत्र, विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों हेतु कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। प्रस्तुतीकरण के उपरान्त यह भी सहमति बनी कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नियोजन विभाग तथा वित्त विभाग के साथ एक बैठक आयोजित कर बुन्देलखण्ड क्षेत्र, विन्ध्य क्षेत्र एवं गुणता प्रभावित गावों हेतु आवश्यक अनुमानित धनराशि रू0 14,800 करोड़ के वित्त पोषण हेतु संभावित विकल्पों/वित्तीय श्रोतों के संबंध में ठोस कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत किया जाय। मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 23.05.2018 को निर्गत किया गया।

फिजीबिलिटी अध्ययन
(जनवरी–2019)

(अंकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

- विभिन्न ग्रामों में पेयजल की उपलब्धता एवं अनाच्छादित ग्रामों का सर्वेक्षण
- जनपद में भूजल स्तर का अध्ययन
- जल स्रोतों का चिन्हीकरण
- उपलब्ध जल स्रोतों का विवरण एवं स्राव तथा निरन्तरता (भूजल स्तर) संबंधी विवरण।

(अँकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

प्राक्कलन विरचन कार्य

- प्राक्कलन तैयार किये जाने हेतु दिनांक 01.01.2019 में 04 संस्थाओं का चयन।

- उपरोक्तानुसार 04 संस्थाओं द्वारा ग्रामीण पेयजल योजना के 635 डी0पी0आर0 तैयार कर लिये गये हैं।

(अंकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

तकनीकी प्रस्ताव

- विभिन्न प्रामाणिक विधियों से अभिकल्पित जनसंख्या की गणना।
- स्रोत का चयन एवं जनसंख्या के अनुरुप आवश्यक पेयजल की उपलब्धता का आकलन
- ड्राइंग, इन्डेक्स मैप, वितरण प्रणाली का मैप
- विभिन्न कार्यो का मैप
- सामग्री एवं श्रमिक दरों पर कार्यो का आगणन
- समस्त प्रस्तावित कार्यों का आगणन

पी0एम0सी0 चयन हेतु कार्यवाही

- योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 16.07.2019 को पी0एम0सी0 के चयन हेतु आर0एफ0पी0 निर्गत की गयी।
- दिनांक 26.07.2019 को संभावित निविदादातों के साथ प्री–बिड बैठक आयोजित की गयी।
- दिनांक 31.08.2019 तक पी0एम0सी0 का चयन प्रस्तावित।

(अतुल बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

(अंकुर बाजपेई)
तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

धन्यवाद

विषयः नमामि गंगे स्वच्छ पेयजल योजना के अन्तर्गत पटवध ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत WTP हेतु वन भूमि एवं ग्राम समाज को पारस्परिक हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

आरक्षित वन क्लीयरेंस हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य गैर वानिकी कार्य प्रस्तावित नहीं होगा, यदि ऐसा करने की अपरिहार्य स्थिति बनती है तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत फॉरेस्ट एप्रूवल व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अन्तर्गत वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस लिया जायेगा।

1/6/2021

(अंकुर बाजपेयी)
तकनीकी सलाहकार

तकनीकी सलाहकार
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन